न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपऊ, धौलपुर (राज.)

फौजदारी प्रकरण संख्या–694 / 2022

एफ.आई.आर. संख्या–208 / 2014 थाना सैंपऊ

सरकार बनाम निरोती वगैरह

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	
14.11.2024	सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण रमेश, रज्जो, अर्जुन सिंह, लज्जाराम, भीमसेन अनुपस्थित का A/W अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ था कि अभियुक्तगण घर पर मौजूद नहीं मिले तथा आस–पडोसियों ने उनके बारे में कोई जानकारी होना नहीं बताया तथा अभियुक्तगण गिरफ्तारी के डर से लुकते, छिपते, बचते फिरते हैं तथा निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली न्यायालय की सर्वाधिक पुराने प्रकरणों में से है तथा पत्रावली में अभियुक्तगण की जमानत जप्त है और न्यायालय से बार–बार जारी गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील प्राप्त हो रहे हैं। पत्रावली में अभियुक्तगण के निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है, वे गिरफ्तारी के भय से लुकते, छिपते, बचते फिर रहे हैं अर्थात रूहपोश हो गये हैं। हस्तगत पत्रावली न्यायालय की सर्वाधिक पुराने प्रकरणों में से एक है, जिसका निस्तारण किए जाने में विलंब हो रहा है। तामील कुनिन्दा श्री जीतेश कुमार कानि. 41 थाना सैंपऊ के उपस्थित आने पर बयान साक्ष्य मफरूरी लिये गये। अतः अभियुक्तगण 1. अर्जुन सिंह पुत्र लज्जाराम, 2. भीमसेन पुत्र लज्जाराम, 3. लज्जाराम पुत्र छोटेलाल, 4. रमेश पुत्र अनारसिंह, 5. रज्जो पुत्र निरोती, समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण मढी मौहल्ला सैंपऊ थाना सैंपऊ को इस प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। उनका स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट आज ही जारी किया जाकर संबंधित थाने को दिया जावे तथा थाने पर स्थायी गिरफ्तारी वारंट के दर्ज क्रमांक मंगवाये जाकर रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे। अभियुक्तगण के विरूद्ध 82–83 दं.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अभियुक्तगण के विरूद्ध 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही नहीं खोली गयी हो तो अब खोली जावे। मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्तगण के मफरूर होने का नोट अंकित किया जावे। पत्रावली में मुख्य साक्षी पीडब्ल्यू–01	

	नत्थीलाल, पी.डब्ल्यू–02 देशराज सिंह, पी.डब्ल्यू–03 शादीलाल, पी.डब्ल्यू–04 भिक्की, पी.डब्ल्यू–05 नेत्रपाली, पी.डब्ल्यू–06 सुरेश, पी.डब्ल्यू–07 मुकेश की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत पत्रावली के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए पत्रावली को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। हस्तगत पत्रावली में अभियुक्त निरोती पुत्र छोटे की तस्दीकशुदा फौती रिपोर्ट न्यायालय में पेश होने पर अभियुक्त निरोती पुत्र छोटे के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 01.06.2024 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। अतः पत्रावली अभियुक्तगण रमेश, रज्जो, अर्जुन सिंह, लज्जाराम, भीमसेन के मफरूर होने पर मफरूरी से फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर उपर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली में अभियुक्तगण मफरूर है, पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे। अतः अब पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली मफरूरी में फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	